भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1274

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2023 को दिया गया

जल विद्युत उत्पादन

1274. प्रो. सौगत राय:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में जल विद्युत उत्पादन के भविष्य के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बाढ़ जैसी बार-बार आने वाली प्राकृतिक आपदाएं जल विद्युत परियोजनाओं के चल रहे निर्माण कार्यों के संबंध में चिंता का कारण बन रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : जी हां। सरकार ने, वर्ष 2013 में, देश में जल-विद्युत क्षमता के बेसिन-वार पुनर्मूल्यांकन के संबंध में संदर्भ की शर्तों (टीओआर) को अंतिम रूप देने के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के अंतर्गत एक समिति का गठन किया था, जिसमें केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), भारतीय सर्वेक्षण (एसओआई), राष्ट्रीय दूर-संवेदी एजेंसी (एनआरएसए), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) के सदस्य शामिल थे। सीईए द्वारा वर्ष 2017-23 की अवधि के दौरान पुनर्मूल्यांकन अध्ययन किया गया था। अध्ययन के अनुसार, प्रमुख/मध्यम स्कीमों (अर्थात् 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली स्कीमों) से मूल्यांकित जल विद्युत क्षमता लगभग 133.4 गीगावॉट है। राज्य-वार विवरण **अनुबंध** में संलग्न है।

(ग) और (घ) : जल विद्युत परियोजनाएं मुख्य रूप से पहाड़ी इलाकों में स्थित हैं**,** जहां बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं के कारण कभी-कभी अस्थायी संरचनाओं जैसे कॉफ़र बांध, सुरक्षा दीवार आदि को नुकसान होता है और परिणामस्वरूप परियोजना(ओं) में देरी होती है। साथ ही, बाढ़ के कारण, सड़क/पुल क्षतिग्रस्त खराब हो सकते हैं, जिससे परियोजना स्थलों को सामग्री की आपूर्ति में अधिक विलंब होता है और परियोजना चालू होने के कार्यक्रम प्रभावित होते हैं।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 27.07.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1274 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

बड़ी जल विद्युत की राज्य-वार क्षमता
(संस्थापित क्षमता के संबंध में - 25 मेगावाट से अधिक)

क्षेत्र/राज्य	अभिचिह्नित क्षमता (मेगावाट) (वर्ष 2017-23)
उत्तरी क्षेत्र	
जम्मू एवं कश्मीर	12265
लद्दाख	707
हिमाचल प्रदेश	18305
पंजाब	1301
हरियाणा	0
राजस्थान	411
उत्तराखंड	13481
उत्तर प्रदेश	502
उप-जोड़ (उत्तरी क्षेत्र)	**46971**
पश्चिमी क्षेत्र	
मध्य प्रदेश	2819
छत्तीसगढ़	1311
गुजरात	550
महाराष्ट्र	3144
गोवा	0
उप-जोड़ (पश्चिमी क्षेत्र)	**7824**
दक्षिणी क्षेत्र	
आंध्र प्रदेश	2596
तेलंगाना	1302
कर्नाटक	4414
केरल	2473
तमिलनाडु	1785
उप-जोड़ (दक्षिणी क्षेत्र)	**12570**
पूर्वी क्षेत्र	
झारखंड	300
बिहार	130
ओडिशा	2825
पश्चिम बंगाल	809
सिक्किम	6051
उप-जोड़ (पूर्वी क्षेत्र)	**10115**
पूर्वोत्तर क्षेत्र	
मेघालय	2026
त्रिपुरा	0
मणिपुर	615
असम	643
नागालैंड	325
अरुणाचल प्रदेश	50394
मिजोरम	1927
उप-जोड़ (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	**55930**
अखिल भारतीय	**133410**

****